Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 50–2019] चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 10 दिसम्बर, 2019
(19 अग्रहायण, 1941 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	**अधिनियम**	
	कुछ नहीं	
भाग II	**अध्यादेश**	
	कुछ नहीं	
भाग III	**प्रत्यायोजित विधान**	
	1. अधिसूचना संख्या का०आ० 82/के०अ० 23/2010/धा०54/2019, दिनांक 9 दिसम्बर, 2019– हरियाणा नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) संशोधन नियम, 2019. (प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)	837–840
भाग IV	**शुद्धि–पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन**	
	कुछ नहीं।	

भाग–III

हरियाणा सरकार

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

दिनांक 10 दिसम्बर, 2019

संख्या का०आ० 82/के०अ० 23/2010/धा०54/2019.— नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का केन्द्रीय अधिनियम 23), की धारा 54 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा हरियाणा नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) नियम, 2018 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. (1) ये नियम हरियाणा नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) संशोधन नियम, 2019, कहे जा सकते हैं।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. हरियाणा नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) नियम, 2018 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 10 के बाद निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :–

"10 क. अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ग) के उप–खण्ड (ii) में यथा विनिर्दिष्ट नैदानिक स्थापनों के लिए अनन्तिम अथवा स्थाई प्रमाण–पत्र.– (1) आवेदक परिशिष्ट I के अनुसार फारमेट में आवश्यक सूचनाओं तथा पांच सौ रूपए की फीस सहित या तो व्यक्तिगत रूप से या डाक द्वारा या ऑनलाइन सुविधा आधारित वैब के माध्यम से अनन्तिम प्रमाण–पत्र के लिए प्राधिकरण को आवेदन करेगा।

(2) नियम 9 के उप–नियम (2) से उप–नियम (8) के उपबन्ध, उपरोक्त उप–नियम (1) के अधीन प्रस्तुत किए गए आवेदन पर यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

(3) आवेदक, स्थायी प्रमाण–पत्र के लिए प्राधिकरण को राष्ट्रीय परिषद् (www.clinicalestablishment.gov.in पर उपलब्ध) द्वारा विहित प्ररूप में भरी सभी आवश्यक सूचनाओं तथा नैदानिक स्थापनाओं के विभिन्न प्रवर्गों के लिए न्यूनतम मानकों की अपेक्षाओं को पूरा करने के साक्ष्यों सहित दो हजार रूपए की फीस सहित व्यक्तिगत रूप से या डाक या ऑनलाईन सुविधा आधारित वैब के माध्यम से आवेदन करेगा ।

(4) नियम 10 के उप–नियम (2) से उप–नियम (8) के उपबन्ध, उपरोक्त उप–नियम (3) के अधीन प्रस्तुत किए गए आवेदन पर यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे ।

3. उक्त नियमों में, परिशिष्ट 1 में, "देखिए नियम 9(1)" शब्दों, अंकों तथा कोष्ठकों के स्थान पर, "{दिखिए नियम 9(1) तथा 10क(1)}" कोष्ठक, शब्द तथा अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

4. उक्त नियमों में, परिशिष्ट 2 में, "देखिए नियम 9(2)" शब्दों, अंकों तथा कोष्ठकों के स्थान पर, "{दिखिए नियम 9(2) तथा 10क(2)}" कोष्ठक, शब्द तथा अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

5. उक्त नियमों में, परिशिष्ट 3 में, "देखिए नियम 9(3)" शब्दों, अंकों तथा कोष्ठकों के स्थान पर, "{दिखिए नियम 9(3) तथा 10क(2)}" कोष्ठक, शब्द तथा अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

6. उक्त नियमों में, परिशिष्ट 4 में, "देखिए नियम 9(7)" शब्दों, अंकों तथा कोष्ठकों के स्थान पर, "{दिखिए नियम 9 (7) तथा 10क(2)}" कोष्ठक, शब्द तथा अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

7. उक्त नियमों में, परिशिष्ट 5 में, "देखिए नियम 10(2)" शब्दों, अंकों तथा कोष्ठकों के स्थान पर, "{दिखिए नियम 10(2) तथा 10क(4)}"कोष्ठक, शब्द तथा अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

8. उक्त नियमों में, परिशिष्ट 6 में, "देखिए नियम 10(3)" शब्दों, अंकों तथा कोष्ठकों के स्थान पर, "{दिखिए नियम 10(3) तथा 10क(4)}"कोष्ठक, शब्द तथा अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

9. उक्त नियमों में, परिशिष्ट 7 में, "देखिए नियम 10(7)" शब्दों, अंकों तथा कोष्ठकों के स्थान पर, "{दिखिए नियम 10(7) तथा 10क(4)}"कोष्ठक, शब्द तथा अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

10. उक्त नियमों में, परिशिष्ट 8 में, "देखिए नियम 10(8)" शब्दों, अंकों तथा कोष्ठकों के स्थान पर, "{दिखिए नियम 10(8) तथा 10क(4)}" कोष्ठक, शब्द तथा अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

11. उक्त नियमों में, परिशिष्ठ 9 में, अन्त में, निम्नलिखित सारणी जोड़ी जाएगी, अर्थात् :–

"सारणी		
अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ग) के उप–खण्ड (ii) में यथा विनिर्दिष्ट गैर रजिस्ट्रीकरण नैदानिक स्थापनों के लिए आर्थिक दण्ड (धारा 41(1)}		
प्रथम उल्लंघना (रूपए में)	द्वितीय उल्लंघना (रूपए में)	तृतीय उल्लंघना (रूपए में)
1	2	3
5,000/–	20,000/–	50,000/–"।

राजीव अरोड़ा,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
स्वास्थ्य विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

HEALTH DEPARTMENT

Notification

The 10th December, 2019

No. S.O. 82/C.A.23/2010/S.54/2019.— In exercise of the power conferred by section 54 of the Clinical Establishment (Registration and Regulation) Act, 2010 (Central Act 23 of 2010), the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Clinical Establishments (Registration and Regulation) Rules, 2018, namely :-

1. (1) These rules may be called the Haryana Clinical Establishments (Registration and Regulation) Amendment Rules, 2019.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Haryana Clinical Establishments (Registration and Regulation) Rules, 2018 hereinafter called the said rules) , after rule 10, the following rule shall be inserted namely :-

"10A Provisional or permanent certificate for clinical establishment as specified in sub-clause(ii) of clause (c) of section 2 of the Act.- (1) The applicant shall apply to the authority for provisional certificate either in person or by post or through web based online facility along with necessary information in a format as per Annexure 1 and a fee of five hundred rupees.

(2) The provisions of sub-rule (2) to sub-rule 8 of rule 9 shall mutatis mutandis apply to an application submitted under sub-rule(1) above.

(3) The applicant shall apply to the authority for permanent certificate in person or by post or through web based online facility with the necessary information filled and with evidence of having met the requirements of minimum standards for different categories of clinical establishment in a form prescribed by the National Council (available at www.clinicalestablishment.gov.in) along with a fee of two thousand rupees.

(4) The provisions of sub-rule (2) to sub-rule (8) of rule 10 shall mutatis mutandis apply to an application submitted under sub-rule (3) above.

3. In the said rules, in Annexure 1, for the words, brackets and figures "see rule 9 (1)", the words, brackets and figures "see rules 9(1) and 10A(1)" shall be substituted.

4. In the said rules, in Annexure 2, for the words, brackets and figures "see rule 9 (2)", the words, brackets and figures "see rules 9(2) and 10A(2)" shall be substituted.

5. In the said rules, in Annexure 3, for the words, brackets and figures "see rule 9 (3)", the words, brackets and figures "see rules 9(3) and 10A(2)" shall be substituted.

6. In the said rules, in Annexure 4, for the words, brackets and figures "see rule 9(7)", the words, brackets and figures "see rules 9(7) and 10A(2)" shall be substituted.

7. In the said rules, in Annexure 5, for the words, brackets and figures "see rule 10(2)", the words, brackets and figures "see rules 10(2) and 10A(4)" shall be substituted.

8. In the said rules, in Annexure 6, for the words, brackets and figures "see rule 10(3)", the words, brackets and figures "see rules 10(3) and 10A(4)" shall be substituted.

9. In the said rules, in Annexure 7, for the words, brackets and figures "see rule 10(7)", the words, brackets and figures "see rules 10(7) and 10A(4)" shall be substituted.

10. In the said rules, in Annexure 8, for the words, brackets and figures "see rule 10(8)", the words, brackets and figures "see rules 10(8) and 10A(4)" shall be substituted.

11. In the said rules, in Annexure 9, the following table shall be added at the end, namely:-

"Monetary penalties for non registration of clinical establishment as specified in sub-clauses(ii) of clause (c) of section 2 of the Act		
1st Contravention (In Rupees)	**2nd Contravention (In Rupees)**	**3rd Contravention (In Rupees)**
5,000/-	20,000/-	50,000/-" I

RAJEEV ARORA,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Health Department.

57522—C.S.—H.G.P., Chd.